

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी : श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

राजस्व विविध : 30/2020  
जी.सी.एम.एस. : 2020/00246

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार  
(भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली

फाउडीदेवी पत्नी गलबाराम जाति मेघवाल  
निवासी बामनेरा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली  
राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :- प्रार्थी की ओर से सुरेन्द्र सिंह लबाना  
अप्रार्थी की ओर से रामलाल भाटी

-: निर्णय :-

दिनांक:- 8/12/21

तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत विरुद्ध अप्रार्थीया के उसके हक में दिनांक 08.02.2013 को ग्राम बामनेरा खसरा नंबर 142/534 रकबा 0.90 हैक्टेयर किस्म चा.दो.जा.दो. भूमि का आवंटन किया गया जिसे निरस्त कराने हेतु पेश किया है। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं मूल आवंटन रिकॉर्ड मंगवाया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वक्त बहस सरकारी पैरोकार ने कथन किया कि अप्रार्थीया फाउडीदेवी पत्नी गलबाराम जाति मेघवाल निवासी बामनेरा तहसील सुमेरपुर को उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा दिनांक 8.2.2013 को ग्राम बामनेरा के खसरा नंबर 142/534 रकबा 0.90 हैक्टेयर किस्म चा.दो.जा.दो. भूमि का आवंटन किया गया तथा अप्रार्थीया को जरिये नामान्तरकरण संख्या 443 के गैर खातेदार दर्ज किया गया। आवंटी अथवा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर आदिनांक तक कब्जा काशत नहीं है उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवंटित उपरोक्त आराजी पर मौके पर उक्त खसरे में से मार्ग निकल रहा है। रिकॉर्ड एवं मौका स्थिति भिन्न है। आवंटन के लिए आवेदन पत्र पर नियम 8(1-क) के अनुसार विवाहित कृषक को पति पत्नी दोनों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत करना होता है। जबकि प्रार्थी द्वारा अकेले ही आवेदन किया गया है पत्रावली संलग्न नकल गिरदावरी संवत् 2072-75 के अनुसार आवंटित आराजी पर कब्जा नहीं होना स्पष्ट है जबकि खातेदारी अधिकार प्राप्त करने बाबत नियम 18(4) के अनुसार आवंटी को प्रथम वर्ष के 50 प्रतिशत भूमि पर तथा दूसरे वर्ष में शेष क्षेत्र की भूमि पर भी काशत करनी होती है जो नहीं की गई है इसलिए आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटी को कब्जा 1 माह में नहीं देने पर श्रीमान के समक्ष कब्जा प्राप्ति हेतु आवेदन करना चाहिए था जो वक्त आवंटन सन् 2013 से आज तक नहीं किया गया है अतः आवंटी को किया गया उक्त आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी ने उक्त आवंटित भूमि का आवंटन किया जाने के पश्चात मौके पर कृषि भूमि को समतल कर घोंरा पानी लगाकर उपजाऊ बनाया एवम समय-समय पर कृषि फसले बोई परन्तु पटवार हल्का द्वारा जानबूझकर गिरदावरी नहीं कि गई अप्रार्थी आज भी मौके पर काबिज काशत है। अतः आवंटी को किया गया उक्त आवंटन यथावत रखा जाने का आदेश फरमावे।

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया आवंटी ने दिनांक 8.2.2013 को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के तहत किया गया था उक्त आवंटन ग्राम धनापुरा पटवार हल्का बामनेरा के खसरा नंबर 142/534 रकबा 0.90 हैक्टेयर किस्म चा.दो.जा.दो. भूमि का आवंटन किया गया था उक्त आराजी पर आवंटी अप्रार्थी का आदिनांक तक कब्जा नहीं है जो पत्रावली संलग्न नकल गिरदावरी संवत् 2072-75 से स्पष्ट है उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के पत्रांक/राजस्व/2021/915 दिनांक 30.9.2021 के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार उक्त आराजी पर मौके पर उक्त खसरे से मार्ग निकल रहा है। रिकॉर्ड एवं मौका स्थिति भिन्न है। तथा आवंटी को प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि पर काशत

क्रमशः..... 2

जिला कलेक्टर, पाली

करनी होती है तथा शेष भूमी पर द्वितीय वर्ष में करनी होती है लेकिन गिरदावरी अनुसार भूमी पड़त है आवंटी का कब्जा काश्त आदिनांक तक नहीं है आवंटी को आवंटन के एक माह में कब्जा प्राप्त करना होता है अगर कब्जा नहीं दिया गया तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 1 माह के बाद प्रार्थना पत्र कब्जा प्राप्ति हेतु पेश करना था जो नहीं किया गया है इससे स्पष्ट है कि आवंटित आराजी पर आवंटी द्वारा कब्जा काश्त एवं कृषि नहीं कर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है अतः आवंटन निरस्त किया जाना विधिसम्मत है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार सुमेरपुर का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है आवंटी अप्रार्थीया फाउडीदेवी पत्नी गलबाराम जाति मेघवाल निवासी बामनेरा तहसील सुमेरपुर के पक्ष में दिनांक 08.02.2013 को ग्राम बामनेरा पटवार हल्का बामनेरा के खसरा नंबर 142/534 रकबा 0.90 हैक्टेयर किस्म चा.दो.जा.दो. भूमी का आवंटन उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा किया गया उसे निरस्त किया जाता है एवं आराजी को पुनः राज्य सरकार के हक में सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 8/12/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।



*Anu*  
(अंश दीप)  
जिला कलेक्टर, पाली  
जिला कलेक्टर, पाली